

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का परीक्षण मामला संख्या- 8**

=====

स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय पुनदेव प्रसाद साह, निवासी ग्राम/मोहल्ला-ए/65, रोड नंबर 4 ए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, डाकघर- आशियाना नगर, थाना राजीव नगर, जिला-पटना, बिहार।

और

दिनांक 14.07.2016 को पंजीकृत वसीयत की प्रोबेट प्रदान करने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 सह पठित धारा 300 के अंतर्गत दायर आवेदन के मामले में।

और

द्वारा दायर आवेदन के मामले में

श्रीमती रत्नेश्वरी देवी, स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद की पत्नी, निवासी-मोहल्ला-ए/65, रोड नंबर 4 ए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पी.ओ.- आशियाना नगर, थाना- राजीव नगर, जिला-पटना, बिहार।

.....आवेदक

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री नरेश प्रसाद, अधिवक्ता
		श्री मिथिलेश कुमार आर्य, अधिवक्ता
एनआर/एस के लिए	:	श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता
		श्री सितांशु शेखर सुर्घी

=====

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925-धारा 276 धारा 300 के साथ पढ़ा जाए-प्रोबेट का अनुदान-वसीयत का पंजीकृत-पंजीकृत वसीयत को आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसके तहत उसे वसीयत का निष्पादक नियुक्त किया गया था-किसी भी निकट संबंधी ने आवेदक के पक्ष में पंजीकृत वसीयत के प्रोबेट के अनुदान पर आपत्ति नहीं की है, बल्कि उन सभी ने अपने 'अनापत्ति शपथ-पत्र' दायर किए हैं-प्रमाणित गवाह सहित आवेदक के गवाहों ने

वसीयत को साबित कर दिया है—सभी गवाहों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वसीयत के निष्पादन के समय, वसीयतकर्ता (स्वर्गीय पारस नाथ प्रसाद) एक अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में थे और वह स्वेच्छा से रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हुए और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया और गवाहों द्वारा उनके हस्ताक्षर की पहचान भी की गई है—वसीयतकर्ता ने वसीयत की विषय की उचित समझ के साथ मन की उचित स्थिति में वसीयत के निष्पादक को नियुक्त करके वसीयत के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया—आवेदन अनुज्ञात किया गया—आवेदक के पक्ष में वसीयत का प्रोबेट जारी किया जाएगा।

(पैरा 10 से 12)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 30-04-2024

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा एनआरएस के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

02. यह आवेदन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 सहपठित धारा 300 के अंतर्गत स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद द्वारा दिनांक 14.07.2016 को निष्पादित पंजीकृत वसीयत के प्रोबेट के लिए दायर किया गया है। पंजीकृत वसीयत आवेदक रत्नेश्वरी देवी, पत्नी स्वर्गीय डॉ. प्रसाद नाथ प्रसाद के पक्ष में निष्पादित की गई है, जिसके तहत उन्हें दिनांक 14.07.2016 को उक्त वसीयत का निष्पादक भी नियुक्त किया गया है।

03. आवेदक की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद ने वसीयत की सामग्री को समझने के बाद, किसी के भी अनुचित प्रभाव या दबाव के बिना, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और स्वस्थ मानसिक स्थिति में स्वेच्छा से दिनांक 14.07.2016 को पंजीकृत वसीयत को दो सत्यापन गवाहों, अर्थात्, (i) चंद्रशेखर शर्मा (ए.डब्ल्यू-1), निवासी मोहल्ला-बी/30, रोड नंबर 4 ए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पोस्ट.-आशियाना नगर, थाना- राजीव नगर, जिला-पटना-800025 और (ii) आर. आर. द्वारा सिंह (ए.डब्ल्यू-2), निवासी मोहल्ला- 106/बी. रोड नंबर 4 ए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पोस्ट.-आशियाना नगर, थाना--राजीव नगर, जिला-पटना-800025 की उपस्थिति में निष्पादित किया। उपरोक्त ए.डब्ल्यू-2, आर. आर. द्वार सिंह की मृत्यु 26.04.2021 को हो गई। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उक्त वसीयतकर्ता, स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद, मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ द्वारा शासित एक हिंदू थे और मोहल्ला-ए/65,

रोड नंबर 4 ए, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पोस्ट-आशियाना नगर, थाना- राजीव नगर, जिला-पटना में स्थायी रूप से रह रहे थे, जो इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु 17.09.2017 को लगभग 03:00 बजे आशियाना नगर, पटना, बिहार में उनके अपने निवास पर हुई और दिनांक 14.07.2016 की वसीयत वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत है, जिसे 14.07.2016 को जिला-रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री कार्यालय, पटना के कार्यालय में विधिवत निष्पादित किया गया था। वसीयतकर्ता, स्वर्गीय पारस नाथ प्रसाद की मृत्यु उनकी विधवा, अर्थात् रत्नेश्वरी देवी और एक बेटी, अर्थात् किरण कुमारी, श्री राकेश नंदन प्रसाद की पत्नी और दो बेटों, क्रमशः प्रेम कुमार और पंकज कुमार को छोड़कर हुई। वसीयत के अंतर्गत आने वाली संपत्ति वसीयतकर्ता की स्वयं अर्जित संपत्ति है और एकमात्र मालिक के रूप में उन्होंने अपनी संपत्ति को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से अपनी पत्नी रत्नेश्वरी देवी के पक्ष में वसीयत की है और वसीयतकर्ता ने अपनी पत्नी रत्नेश्वरी देवी को दिनांक 14.07.2016 की वसीयत का निष्पादक भी नियुक्त किया है। आवेदक को वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित दिनांक 14.07.2016 की पंजीकृत वसीयत का एकमात्र लाभार्थी/वसीयतदार नामित किया गया है। आवेदक के हाथ में आने वाली संपत्ति की राशि लगभग 2,00,00,000/- रुपये (केवल दो करोड़ रुपये) है, जिसका उल्लेख शिकायत की अनुसूची-ए में किया गया है। देनदारियों और अन्य कटौती की राशि शिकायत की अनुसूची-बी में दी गई है।

04. आवेदक ने सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम बताए हैं और उन्हें वसीयतकर्ता का नजदीकी रिश्तेदार (एनआर) बताया है तथा वसीयतकर्ता के उपरोक्त तीन उत्तराधिकारियों, एनआर-1, 2 और 3 ने भी अपनी मां रत्नेश्वरी देवी (आवेदक) के पक्ष में अपना 'अनापत्ति हलफनामा' दाखिल किया है। अपने हलफनामों में, उपरोक्त एनआर ने पुष्टि की है और घोषित किया है कि स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद द्वारा दिनांक 14.07.2016 को निष्पादित की गई वसीयत वास्तविक है और यदि इस न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में

प्रोबेट प्रदान किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि वसीयतकर्ता के नजदीकी रिश्तेदार वकालतनामा के माध्यम से पेश हुए थे और उन्होंने अपना 'अनापत्ति हलफनामा' भी दाखिल किया था, इसलिए इस न्यायालय ने दिनांक 14.09.2023 के आदेश के तहत उक्त तीनों नजदीकी रिश्तेदारों पर विशेष उद्धरण जारी करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी और आवेदक को दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में सामान्य उद्धरण प्रकाशित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया, जिनमें से एक हिंदी में, या तो हिंदुस्तान/दैनिक भास्कर/दैनिक जागरण/प्रभात खबर में उनके पटना संस्करण में और एक अंग्रेजी में, या तो हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में। इसके बाद, आवेदक की ओर से हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) और प्रभात खबर (हिंदी) में सामान्य उद्धरण के प्रकाशन के समर्थन में दिनांक 27.09.2023 को दायर हलफनामे को स्वीकार कर लिया गया और रिकॉर्ड में रखा गया और सभी नजदीकी रिश्तेदारों पर सामान्य उद्धरण वैध रूप से तामील घोषित किया गया। उपरोक्त एन.आर. ने आवेदक के पक्ष में प्रोबेट दिए जाने के लिए कोई कैविएट या आपत्ति दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्होंने आवेदक के पक्ष में प्रोबेट दिए जाने के पक्ष में अपना 'अनापत्ति हलफनामा' दाखिल किया। इसके अलावा, किसी भी निकट संबंधी ने आवेदक की ओर से पेश किए गए गवाहों से जिरह नहीं की, हालांकि उनका प्रतिनिधित्व उनके संबंधित विद्वान वकील द्वारा किया गया था।

05. मामले के समर्थन में, वसीयत की पुष्टि करने वाले एक गवाह सहित कुल चार गवाहों से आवेदक की ओर से पूछताछ की गई है, जिनके नाम श्रीमती. किरण कुमारी (एडब्ल्यू-1), श्री हर्ष वर्धन (एडब्ल्यू-2), आवेदक-श्रीमती रत्नेश्वरी देवी ने स्वयं एडब्ल्यू-3 के रूप में जाँच की और वसीयत के गवाह श्री चंद्र शेखर शर्मा ने एडब्ल्यू-4 के रूप में जाँच की गई।

एडब्ल्यू-1, श्रीमती किरण कुमारी की 25.01.2024 को जांच की गई है। उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह वसीयतकर्ता स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद की पुत्री हैं और उसके पिता (वसीयतकर्ता) ने दिनांक 14.07.2016 को वसीयत निष्पादित और पंजीकृत

कराई है, जिसके लिए वर्तमान प्रोबेट मामला दायर किया गया है। इस गवाह ने वसीयतकर्ता अर्थात् स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद द्वारा निष्पादित दिनांक 14.07.2016 की मूल पंजीकृत वसीयत और वसीयत के सभी पृष्ठों पर उनके हस्ताक्षर की भी पहचान की, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श-1 और प्रदर्श-2 श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया गया है। इस गवाह ने वसीयत के विभिन्न पृष्ठों पर दो गवाहों, अर्थात् श्री चंद्रशेखर शर्मा और श्री राज मोहन राम द्वार सिंह के हस्ताक्षरों की भी पहचान की, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श-3 श्रृंखला और प्रदर्श-4 श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया गया है। इस गवाह ने वसीयत के विभिन्न पन्नों पर दो सत्यापन करने वाले गवाहों अर्थात् श्री चंद्रशेखर शर्मा और श्री राज मोहन राम द्वार सिंह के हस्ताक्षरों की भी पहचान की, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श-3 श्रृंखला और प्रदर्श-4 श्रृंखला के रूप में चिह्नित किया गया है। इस गवाह ने आगे गवाही दी कि वह वसीयत के पंजीकरण के समय वसीयत के वसीयतकर्ता की पहचानकर्ता थी और उसने वसीयत के पहले पृष्ठ के पीछे अपने हस्ताक्षर भी साबित किए, जिसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्वस्थ दिमाग का था और इसे बिना किसी बल, दबाव या दबाव के निष्पादित किया गया था।

06. ए. डब्ल्यू-2, अर्थात् हर्ष वर्धन की जाँच 25.01.2024 को की गई है। इस गवाह ने अपने बयान में कहा कि वसीयतकर्ता को वह इसलिए जानता था क्योंकि वह वसीयत के प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक स्वर्गीय राज मोहन राम द्वार सिंह का बेटा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता की मृत्यु दिनांक 26.04.2021 को हुई थी, जो स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद द्वारा निष्पादित दिनांक 14.07.2016 की वसीयत के प्रमाणक गवाह थे और वे वसीयत के निष्पादन के समय भी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक रत्नेश्वरी देवी वसीयतकर्ता की पत्नी है। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वसीयतकर्ता दिनांक 14.07.2016 को दो सत्यापनकर्ता गवाहों, अर्थात् श्री चंद्र शेखर शर्मा और उनके पिता स्वर्गीय राज मोहन राम

द्वार सिंह की उपस्थिति में वसीयत निष्पादित की है, गवाह ने 14.07.2016 की मूल वसीयत (प्रदर्शनी-1) को भी साबित किया और वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर (प्रदर्शनी-2 श्रृंखला), सत्यापित करने वाले गवाहों के हस्ताक्षर, अर्थात् चंद्र शेखर शर्मा (प्रदर्शनी-3 श्रृंखला) और स्वर्गीय राज मोहन राम द्वार सिंह (प्रदर्शनी-4 श्रृंखला) की पहचान वसीयत के विभिन्न पृष्ठों पर की गई। इस गवाह ने आगे कहा है कि वसीयतकर्ता ने अपनी उपस्थिति में वसीयत को निष्पादित किया है और वसीयत के निष्पादन के दौरान वसीयतकर्ता स्वर्गीय पारस नाथ प्रसाद ने पहले वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए और उसके बाद, वसीयतकर्ता के अनुरोध पर, सत्यापित करने वाले गवाहों ने क्रमशः वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने आगे कहा कि पंजीकरण अधिकारी, पटना के समक्ष वसीयत के पंजीकरण के दौरान वसीयतकर्ता की पहचानकर्ता वसीयतकर्ता की बेटी थी, जिसका नाम श्रीमती. किरण कुमारी (एडब्ल्यू-1) और उन्होंने पहचानकर्ता (प्रदर्शनी-5) के हस्ताक्षर की पहचान की। इस गवाह ने आगे कहा कि वसीयत के निष्पादन के समय, उसे वसीयतकर्ता पर जबरदस्ती या दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वसीयतकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ था और स्वस्थ दिमाग का था।

07. एडब्ल्यू-3 अर्थात् रत्नेश्वरी देवी स्वयं आवेदक हैं। आवेदक की जाँच 25.01.2024 पर की गई है। इस गवाह ने कहा है कि वसीयतकर्ता उसका पति था और उसने आवेदक के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पति (वसीयतकर्ता) की मृत्यु 17.09.2017 को हुई, जिन्होंने 14.07.2016 को वसीयत निष्पादित की। उन्होंने मूल वसीयत दिनांक 14.07.2016 (प्रदर्शनी-1) को भी साबित किया और वसीयत (प्रदर्शनी 2 श्रृंखला) पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर की पहचान की। इस गवाह ने वसीयत (प्रदर्शनी-3 श्रृंखला और प्रदर्शनी-4 श्रृंखला) के विभिन्न पृष्ठों पर दोनों प्रमाणक गवाहों के हस्ताक्षरों की भी पहचान की। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी, किरण कुमारी, वसीयत के पंजीकरण के समय अपने पति की पहचानकर्ता थी और उन्होंने पहचानकर्ता के हस्ताक्षर

(प्रदर्शनी-5) की पहचान की। इस गवाह ने यह भी पुष्टि की कि उसका पति शारीरिक रूप से स्वस्थ था और स्वस्थ दिमाग का था और उसने बिना किसी बल, जबरदस्ती या दबाव के वसीयत को निष्पादित किया है। उन्होंने आगे कहा कि उनके बेटों और बेटी ने वर्तमान मामले में अपना 'अनापति हलफनामा' दायर किया है और उन्हें वसीयत दिनांक 14.07.2016 के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और उनके पति के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दी गई एनओसी के आधार पर, घर की संपत्ति पहले ही उनके नाम पर परिवर्तित हो चुकी है।

08. एडब्ल्यू-4, अर्थात्, चंद्रशेखर शर्मा वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 14.07.2016 के प्रमाणक गवाह हैं और उनकी अग्रिम आयु को देखते हुए, इस न्यायालय ने उनकी जाँच करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया है और उनसे 08.02.2024 पर पूछताछ की गई है। अधिवक्ता आयुक्त के समक्ष अपने बयान में, इस गवाह ने आवेदक के मामले का समर्थन किया। 2023 का पटना उच्च न्यायालय परीक्षण मामला संख्या 8 दिनांक 30-04-2024 उन्होंने कहा कि वे वसीयतकर्ता स्वर्गीय डॉ. पारस नाथ प्रसाद को जानते थे, जिन्होंने 14.07.2016 को अपनी अंतिम वसीयत को निष्पादित किया था, जिसमें उन्होंने स्वर्गीय राज मोहन राम द्वार सिंह के साथ वसीयत पर गवाहों को प्रमाणित करने के लिए अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वसीयतकर्ता ने अपनी इच्छा के अनुसार वसीयत का मसौदा टाइप कराया था और उससे वसीयत पर और उसकी उपस्थिति में एक प्रमाणक गवाह बनने का अनुरोध किया था और इस गवाह और एक अन्य प्रमाणक गवाह, अर्थात् आर. आर. द्वार सिंह, वसीयतकर्ता ने पहले वसीयत पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद उसके अनुरोध पर, दोनों प्रमाणक गवाहों ने दिनांकित वसीयत पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने आगे कहा कि उसी दिन वे रजिस्ट्री कार्यालय, पटना पहुंचे और वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत पंजीकृत कराई। वसीयतकर्ता की बेटी, श्रीमती किरण कुमारी ने रजिस्ट्री कार्यालय, पटना के समक्ष वसीयतकर्ता की पहचान की थी। उन्होंने यह भी कहा कि

स्वर्गीय आर. आर. द्वार सिंह के पुत्र श्री हर्ष वर्धन सहित कुछ व्यक्ति भी फांसी के समय और 14.07.2016 पर वसीयत के पंजीकरण के समय मौजूद थे। इस गवाह ने पंजीकृत वसीयत दिनांक 14.07.2016 (प्रदर्शनी-1), वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर (प्रदर्शनी-2 श्रृंखला), वसीयत पर उनके हस्ताक्षर (प्रदर्शनी-3 श्रृंखला), एक अन्य प्रमाणक गवाह, आर. आर. द्वार सिंह के हस्ताक्षर (प्रदर्शनी-4 श्रृंखला) और पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रदर्शनी-5) को भी साबित किया। इस गवाह ने आगे कहा कि वह मामले के आवेदक सहित वसीयतकर्ता के पूरे परिवार के सदस्यों को जानता है, जो वसीयतकर्ता की पत्नी होती है। अधिवक्ता आयुक्त के प्रश्न पर, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वसीयतकर्ता पर वसीयत को निष्पादित करने के लिए किसी भी निकाय का कोई बाहरी दबाव नहीं था क्योंकि वसीयतकर्ता उसकी अपनी पत्नी थी और दिनांक 14.07.2016 को वसीयत के निष्पादन के समय वसीयतकर्ता शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ था।

09. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि किसी भी करीबी रिश्तेदार ने आवेदक के पक्ष में इस पंजीकृत वसीयत के प्रोबेट के अनुदान पर आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि उन सभी ने अपना 'अनापत्ति हलफनामा' दायर किया है। वर्तमान मामले में वसीयत और वसीयत के प्रमाणक गवाह सहित आवेदक के गवाहों द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वसीयत पहले ही साबित हो चुकी है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि वसीयत वसीयतकर्ता की एक पंजीकृत वसीयत है क्योंकि वह स्वयं पंजीयक के समक्ष उपस्थित हुआ और वसीयत के निष्पादन को स्वीकार किया। किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही किसी ने वसीयत को चुनौती दी है।

10. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करते हुए, मेरा विचार है कि सत्यापित करने वाले गवाह सहित आवेदक के गवाहों ने वसीयत को साबित कर दिया है। सभी

गवाहों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वसीयत के निष्पादन के समय स्वर्गीय पारस नाथ प्रसाद अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में थे और वे स्वेच्छा से रजिस्ट्री कार्यालय के समक्ष पेश हुए और सभी औपचारिकताओं का पूरा किया और गवाहों द्वारा उनके हस्ताक्षर की भी पहचान की गई है।

11. गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के विश्लेषण पर, यह बहुत स्पष्ट है कि स्वर्गीय पारस नाथ प्रसाद ने सचेत मन की अच्छी स्थिति में, बिना किसी जबरदस्ती और दबाव के, वसीयत की सामग्री को पूरी तरह से समझाते हुए, वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किए थे और उनके अनुरोध पर प्रमाणक गवाहों ने वसीयत के मुख्य भाग में अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसे गवाहों द्वारा साबित किया गया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि वसीयतकर्ता स्वर्गीय पारस नाथ प्रसाद ने वसीयतकर्ता, श्रीमती के पक्ष में वसीयत को निष्पादित किया। रत्नेश्वरी देवी ने वसीयत की सामग्री की उचित समझ के साथ मन की उचित स्थिति में उन्हें उपरोक्त वसीयत का निष्पादक नियुक्त किया।

12. तदनुसार, इस आवेदन की अनुमति है। इस मामले के आवेदक के पक्ष में दिनांकित 14.07.2016 की वसीयत की प्रोबेट उसके साथ संलग्न वसीयत की एक प्रति के साथ जारी की जाएगी, जो पूरे भारत के क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(अरुण कुमार झा, जे)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।